

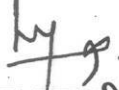
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ 1 (स)(5)स्था./डीटीए/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1(स)(5)स्था./डीटीए/160-227 दिनांक 24.04.2017 के द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक कार्यालय अधीक्षक, लिपिक ग्रेड-1 एवं लिपिक ग्रेड-11 की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति दर्शाते हुए अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर 15 दिवस की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। निर्धारित अवधि तक अन्तरिम वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण आदेश क्रमांक 160-227 दिनांक 24.04.2017 के द्वारा जारी मंत्रालयिक संवर्ग की जारी अन्तरिम वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची समझा जावे।


(पंकज पाटनी)

निदेशक

क्रमांक: एफ 1 (स)(5)स्था./डीटीए/374-440

दिनांक : 10/5/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (शहर/ग्रामीण) जोधपुर/उदयपुर।
2. उपनिदेशक (आई.टी) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को डीटीए की साईट पर अपलोड करावे।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
4. श्री पद.....
5. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)